


10
अवधि हेतु बिना गन्त पत्रान्तर मांगकाम ही हेतु
की संश्लेषण रिपोर्ट को भेजी जा कर पत्रान्तर के माध्यम
द्वारा दोबारा वकालत से एक दो न. रा. वि. प. < पत्रान्तर
सं. 14.2.2017 की प्रतिलिपि मांगकाम में
सुनवाई गया।


तहसीलदार, रियां इंडी
(बापीर - रा. वि. प. प.)

व. 2073... कपी 11/.....
प. नं. 4 के पृष्ठ सं. 142... पर दर्ज कीज
 प्रत्यक्ष विवेक के माध्यम से

10/5/17
14/2/17